भोपाल स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में हंगामा, कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के एमपी नगर स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक सफाईकर्मी अपने पिता के साथ कार्यालय में घुस आया और जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी।

घटना के दौरान कर्मचारियों से अभद्रता किए जाने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप भी लगे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ईडी कार्यालय में सफाई कार्य करने वाले नितेश धौलपुरे को अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर फटकार लगाई थी। इसी बात से नाराज होकर वह अपने पिता के साथ कार्यालय पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार्यालय में पहुंचते ही उसने कर्मचारियों से बहस शुरू कर दी, जो कुछ ही देर में विवाद में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में दोनों ने कार्यालय के भीतर रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और कर्मचारियों को धमकाते हुए हंगामा किया। अचानक हुए घटनाक्रम से कार्यालय में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी दहशत में आ गए। कुछ समय के लिए कार्यालय का कामकाज भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही एमपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

सरकारी काम में बाधा सहित कई धाराओं में केस : ईडी अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने नितेश धौलपुरे और उसके पिता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, तोड़फोड़, अभद्रता और अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है तथा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल : केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

भगवानदास सबनानी ने गुफा मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यास पीठ का पूजन कर कथा का श्रवण किया।

मुख्यमंत्री ने 14 के ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जनआंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन के तहत यह विशेष ऑनलाइन योग सत्र 14 जून को प्रात: 06:15 बजे से 07:35 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

खास खबरें

17 वर्षीय नाबालिग रहस्यमय ढंग से लापता

नप्र, भोपालः रातीबड़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ी कला से 17 वर्षीय नाबालिग घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मां की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला दर्ज

बागसेवनिया के तगरी मोहल्ले में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आसपास के क्षेत्रों में तलाश शुरू कर दी है।

नौकरानी पर 94 हजार रुपये चोरी का आरोप

बागसेवनिया थाना क्षेत्र में घरेलू काम करने वाली एक महिला पर 94 हजार रुपये नकद चोरी करने का आरोप लगा है। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी महिला की तलाश की जा रही है।

घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी

ऐशबाग इलाके में घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल अज्ञात बदमाश चुराकर ले गए। वाहन मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

रैनी वाली गली से बाइक चोरी

मंगलवारा थाना क्षेत्र की रैनी वाली गली से एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं से क्षेत्रवासी चिंतित हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पांच थानों में सड़क हादसों के मामले दर्ज

शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक ही दिन में सड़क दुर्घटनाओं के छह मामले दर्ज किए गए। कार, बस और अन्य वाहनों की टक्कर से कई लोग घायल हुए। पुलिस ने संबंधित चालकों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है।

जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट पर केस

ईटखेड़ी क्षेत्र में युवती को भगाने के विवाद को लेकर जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

बहू से मारपीट का आरोप, ससुर पर एफआईआर

रातीबड़ क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुर पर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक विवाद के कारण घटना होना बताई जा रही है।

अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई

टीटी नगर और कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान चार लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अभियान जारी रखने की बात कही है।

ट्विशा मौत मामलाः जांच में लापरवाही पर कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच के एक माह बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। जांच में कथित लापरवाही पाए जाने पर एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

वहीं मामले में गिरफ्तार पूर्व जज और उनके बेटे से दोबारा पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी रिमांड की तैयारी में जुटी हुई है। मामले की संवेदनशीलता और लगातार सामने आ रहे नए तथ्यों के कारण जांच अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने पिछले एक महीने में घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। कॉल डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि अब तक मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। फोरेंसिक और वैज्ञानिक जांच रिपोर्टों का इंतजार किया जा रहा है, जिनके आधार पर मामले के कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।

जांच के दौरान शुरुआती स्तर पर की गई कार्रवाई और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। इसी क्रम में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठे, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की गई है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी ने कुछ बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी भी तलब की है। इधर, जांच एजेंसी को पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के दौरान कुछ नए सुराग मिले हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व जज और उनके बेटे से दोबारा पूछताछ की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही अदालत में रिमांड आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि अदालत अनुमति देती है तो दोनों आरोपियों से नए तथ्यों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। मृतका के परिजन लगातार मामले में शीघ्र खुलासे और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। प्रत्येक सुनवाई के दौरान परिजन और उनके समर्थक न्याय की मांग को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।

दूसरी ओर आरोपी पक्ष लगातार अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करता रहा है। मामले में जांच एजेंसी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है, ताकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों और साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सके। टिवशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। घटना के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच उच्च स्तर पर पहुंची और बाद में केंद्रीय एजेंसी को इसकी जांच सौंपी गई। तब से लेकर अब तक कई दौर की पूछताछ और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी है।

टेम्पेस्ट के मंचन ने बांधा समां, दर्शकों ने सराहा कलाकारों का अभिनय

भोपाल । आरंभ कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी, भोपाल की ओर से नीलबड़ में विश्वप्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर के चर्चित नाटक 'टेम्पेस्ट' का प्रभावशाली मंचन किया गया। यह प्रस्तुति शहर के रंगप्रेमियों के लिए एक यादगार सांस्कृतिक संध्या साबित हुई। नाटक ने अपनी सशक्त कहानी, प्रभावी संवादों और कलाकारों के जीवंत अभिनय से दर्शकों को अंत तक बांधे रखा।

नाटक के मुख्य किरदार कैलिबान की भूमिका शहर के प्रसिद्ध अभिनेता अंशुल कुकरेले ने निभाई। उनके प्रभावशाली अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। अंशुल कुकरेले फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' और वेब सीरीज 'आश्रम' में भी अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। मंच पर उनकी सशक्त उपस्थिति और संवाद अदायगी ने पात्र को जीवंत बना दिया।

नाटक में सीबी पाटिल ने प्रॉस्पेरे, ओजस्विनी गर्ग ने मिरांडा, ललित लहरे ने एंटोनियो, शरद नायक ने गोंजालो, कुणाल पुरोहित ने राजा, विवेक लिटोरिया ने फर्डिनेंड, विष्णु गर्ग ने एंटोनियो तथा राहुल मोहिते ने स्टेफानो की भूमिका निभाई। सभी कलाकारों ने अपने-अपने पात्रों के साथ न्याय करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। नाटक की कहानी जादूगर प्रॉस्पेरे और उसकी पुत्री मिरांडा के इर्द-गिर्द घूमती है। प्रॉस्पेरे को उसके भाई एंटोनियो द्वारा छलपूर्वक राज्य से बेदखल कर दिया जाता है। वर्षों बाद वह एक निर्जन द्वीप पर रहकर अपने शत्रुओं से बदला लेने की योजना बनाता है। घटनाक्रम के दौरान उसे यह एहसास होता है कि क्षमा की शक्ति प्रतिशोध से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है।

कहानी में मिरांडा और नेपल्स के राजकुमार फर्डिनेंड के प्रेम प्रसंग को भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

एसईआईएए अध्यक्ष के पत्र में पर्यावरण स्वीकृतियों पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप

मुख्य सचिव से स्वतंत्र जांच की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) के अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पर्यावरण स्वीकृतियों से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पत्र में आरोप है कि शिकायतों और दस्तावेजी साक्ष्यों के बावजूद कई मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई।

पत्र में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईएलए) अधिसूचना और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों की अनदेखी कर कुछ मामलों में पर्यावरण स्वीकृतियां और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) जारी किए गए। अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

एसईआईएए अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ मामलों में बैठकें नियमित रूप से नहीं होने के बावजूद बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। पत्र में एनजीटी द्वारा कुछ स्वीकृतियों को शून्य घोषित किए जाने का भी हवाला दिया गया है। अध्यक्ष ने पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट हो सके और यदि अनियमितता सिद्ध होती है तो कार्रवाई की जा सके।

'संपदा 2.0 के '500 पंजीयन प्रतिदिन' दावे पर सवाल, वास्तविक प्रॉपर्टी सौदों का हिस्सा मात्र 25 प्रतिशत

नप्र, भोपालः प्रदेश सरकार के डिजिटल पंजीयन प्लेटफॉर्म संपदा 2.0 पर प्रतिदिन 400 से 500 पंजीयन होने के दावों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि कुल पंजीयनों में से केवल लगभग 25 प्रतिशत ही वास्तविक जमीन-मकान की खरीद-बिक्री से जुड़े हैं, जबकि शेष पंजीयन अन्य दस्तावेजों और अनुबंधों के होते हैं।सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन दर्ज 400 से 500 पंजीयनों में लगभग 100 से 135 मामले ही ऐसे होते हैं, जिनमें एक लाख रुपये या उससे अधिक की स्टांप ड्यूटी प्राप्त होती है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 27 मई को 495 पंजीयन में 135, 26 मई को 474 में 114 तथा 25 मई को 963 पंजीयनों में केवल 188 मामले ही उच्च राजस्व श्रेणी में थे। इससे यह सवाल उठ रहा है कि केवल कुल संख्या को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

निगम ने हटाए विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमण

नप्र, भोपालः नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी क्रम में निगम के अमले ने सी.एम. हेल्पलाईन, महापौर हेल्पलाईन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण तथा निगम की नियमित कार्यवाही के तहत विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यवाही की।

पढ़ाई के बिना किसी का कोई मोल नहीं: सिद्धभाऊ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः जो शिक्षक-शिक्षिकाएं है उन्हें मौका मिला है कि सरस्वती माँ के ज्ञान कोष को आप बांटें ताकि विद्यार्थी पढ़ाई करके समाज और घर में सम्मान प्राप्त करें क्योंकि पढ़ाई के बिना किसी का कोई मोल नहीं है।

यह विचार सिद्धभाऊजी ने व्यक्त किए। वे लक्ष्मीदेवी विक्योमल शर्राफ एज्यूकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक-शिक्षिकाओं शिक्षक उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई। उन्होंने कहा, बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दें। उन्हे प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करें। यह बताएं कि प्रार्थना से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। भाऊजी ने कहा, पढ़ाई करने के लिए बच्चों से टाइम टेबल बनवाएं, जिसमें मोबाइल और टी.वी. के लिए भी समय निर्धारित हो क्योंकि टाइम टेबल बनाने से बच्चे स्वअनुशासित बनते हैं और समय सदुपयोग करते हैं।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, प्रतीक गल्फट आत्मज श्री नीरज गल्फट आयु वयस्क निवासी एल.3,4 ब्लाक बी, सागर अभिनव हाईटस बावडिया कलां होशगाबाद रोड तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. 462001 का होकर शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :- यह कि मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 28/08/2024 को हुआ था। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र (जिसका पंजीकरण B2024239023 50021010 है) में भूलवश उसका नाम AVYAN GALPHAT दर्ज हो गया है। मेरे पुत्र का वास्तविक और सही नाम ANJANEYA GALPHAT है। यह कि भविष्य में मेरे पुत्र को सभी जगह और सभी दस्तावेजों में उसके सही नाम ANJANEYA GALPHAT से ही जाना और पहचाना जाए।

593

कार्यालय थाना प्रभारी थाना निशातपुरा भोपाल

क्र./था.प्र./नि.पुरा/भो/डी-441/2025 दिनांक 04/06/2026

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है थाना निशातपुरा भोपाल के मर्ग क्रमांक 39/25 धारा 194 बीएनएसएसएस का मृतक अज्ञात पुरुष उम्र करीबन 30 साल जिसका हुलिया जो मिलट्री कलर नीले कलर का ट्रेक सूट जिस पर अंगेजी में इंडियन आर्मी लिखा है व नीले कलर जींस पेंट पहने है तथा लाल कलर की बनियान व लाल कलर की अण्डर बीयर जिस पर अंगेजी में बिग बॉस लिखा है जिसकी छोटी-छोटी मूंझ व दाढी है तथा आर्मी स्टाइल बाल कटिंग है कद करीबन 5 फिट 6 इंच सावला कलर जिसका फोटो उपरोक्तानुसार है यदि मृतक के संबंध में कोई जानकारी हो तो थाना निशातपुरा भोपाल फोन न. 07552677390, 7587627985, 9009543130 पर संपर्क कर जानकारी देने का कष्ट करें।

जी-14211/26

थाना प्रभारी
थाना निशातपुरा भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय राजस्व निरीक्षक,संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), भोपाल

क्रं./रा.नि./अ-3/2026-27 भोपाल दि.11/06/2026

नक्शा-बटांन सूचना-पत्र

प्रति, सं.क्रं. नाम पता प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नाम एवं मोबाईन नं.1. श्रीमती रमनदीप कौर पत्नी श्री सतवंत सिंह श्री मनप्रीत सिंह राणा पुत्र श्री सतवंत सिंह निवासी अस्थाई न. 39 वार्ड नंबर-01, सरदार मोहल्ला सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.) स्थाई निवासी-310, बी. ब्लॉक, भगवान परिसर मिसरोद, जिला भोपाल 2. श्रीमती रोशनी बक्शी आ. पत्नी श्री पी.आर. बक्शी निवासी ग्राम पीपलनेर, जिला-भोपाल 3. श्री एम.वी. नायर पुत्र श्री एम. नायर निवासी पीपलनेर 4. गुरमत मिशन द्वारा प्रेसीडेन्ड डा. सरदार सतनाम सिंह पुत्र श्री सरदार गुरूमुख सिंह निवासी-हाथताल जबलपुर 5. श्रीमती नवीना पति गुरचरण सिंह अरोरा पता फ्लैट न.-बी 308, ओपल हाइट्स, नियर शनि मंदिर, जाट खेडी, होशंगाबाद रोड, भोपाल 6 सर्व संबंधित पक्षकार **विषय:-** नक्शा बटान विषयक। **संदर्भ:-** न्या. तह.स.हि. राम नगर भोपाल के रा.प्र.क्र.-0049/अ-3/2026-27 दिनांक 20.05.2026 विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल के आदेश के पालन में आवेदकगण-श्रीमती रमनदीप कौर पत्नी श्री सतवंत सिंह एवं श्री मनप्रीत सिंह राणा पुत्र श्री सतवंत सिंह निवासी अस्थाई-न.39 वार्ड नंबर-01, सरदार मोहल्ला सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.) स्थाई निवासी-310, बी. ब्लॉक, भगवान परिसर मिसरोद, जिला भोपाल नगरीय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-पीपलनेर, भोपाल में अवस्थित खसरा नंबर-206/1/6 (S) रकबा 0.1330 हे. भूमि का नक्शा बटान हेतु रा.नि. वृत्त-संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) को मौका कब्जा उठाकर नक्शा बटान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः उक्त आदेश के पालन में मेरे द्वारा दिनांक 19/06/2026 को दोपहर 12.00 बजे से मौका कब्जा उठाने की कार्यवाही की जाएंगी। आपका पड़ोसी कृषक/हितबद्ध पक्षकार होने के कारण सूचित किया जाता है कि आप भी मौका कब्जा उठाने की कार्यवाही के समय भूमि स्वामित्व संबंधी मूल एवं छायाप्रति दोनों दस्तावेजों सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में मौका कब्जा उठाने की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी।

राजस्व निरीक्षक
संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) भोपाल

592

जाहिर सूचना

(भूखण्ड क्रमांक-91, ASTERIA, **ग्राम पिपलिया केशो, तहसील कोलार जिला भोपाल)**

मैं अपने पक्षकार द्वारा निर्देशित किये जाने से सर्व साधारण को सूचित करता हूँ, की मेरे पक्षकार के द्वारा श्रीमती मीना हिंगवे पत्नी श्री उमाजी हिंगवे, आयु व्यस्क एवं श्री रजत हिंगवे आत्मज श्री उमाजी हिंगवे, आयु व्यस्क, निवासीगण डी 02. गुलाबी नगर सेंट्रल प्लाजा, बागमुगलिया, जिला भोपाल (म.प्र.)। राष्ट्रीयता-भारतीय। (पेन नं BQQPH7312 R) भोपाल (म.प्र.) के स्वामित्व व अधिपत्य का एक आवासीय भूखण्ड क्रमांक-91, जो भूमि खसरा क्रमांक-3,5,6,7, 13/1,14/1, एंव 10 के अंश भाग में स्थित है तथा जो ASTERIA, ग्राम पिपलिया केशो (मुख्य मार्ग से दूर) वार्ड क्रमांक 84, तहसील कोलार ओल्ड हुजूर जिला भोपाल में स्थित है जिसकी चतुर्थ सीमायें दिशा पूर्व में भूखण्ड क्रमांक-104, दिशा पश्चिम में 7.5 मीटर कॉलोनी रोड, दिशा उत्तर में भूखण्ड क्रमांक-92, दिशा दक्षिण में भूखण्ड क्रमांक-90 है जिसका कुल क्षेत्रफल 96.04 वर्गमीटर है जिसको क्रय करने हेतु अनुबंध पत्र का निष्पादन कर बयाना राशि प्रदान की गई है, अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की यदि उपरोक्त संव्यवहार से किसी बैंक, व्यक्ति, संस्थान, फर्म शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय, या कोई हितधारी, इत्यादी को कोई आपति हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेजो के आपति प्रस्तुत करे, अन्यथा उपरोक्त समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार और भूखण्ड स्वामी पर मान्य नहीं होगी।

संदीप गांगुली
मो.नं. 9826089328
तुषार गांगुली, अधिवक्ता
कार्यालयः- ए-86 कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल ब्रांच आफिस-प्लाट नं 93-94 आर के टावर हकिम रेस्टोरेन्ट के पीछे एमपी नगर भोपाल

591

कार्यलय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं रतनपुर सड़क तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र

रा.प्र.क. 0192 अ/-12/2025-26
ग्राम नाम :- रतनपुर सड़क

सूचना पत्र

प्रति,1. श्रीमती गीतांजली श्रीवास्तव पत्नी श्री एम.के. श्रीवास्तव निवासी टी-15/1 एफ 02 मोलसुरी एवेन्यू डी. एल.ए मोल हरियाणा 2. राजिया खानम पत्नी मोहम्मद कलीम मोही निवासी भोपाल। 3 रवि वाधवानी आ. श्याम वाधवानी निवासी भोपाल। 4. दलजीत कौर पत्नी दीपक राज नि.ई. 7/86 अरेरा कालोनी भोपाल। 5. कलीम खान (कॉलेज व हॉस्टल संचालक) श्री रामप्रकाश आ. श्री राधेश्याम निवासी भोपाल। 6. श्रीमती मनीषा माहेश्वरी पत्नी श्री सुनील माहेश्वरी नि. भोपाल। सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पड़ोसीगण **विषय:-** सीमांकन किये जाने हेतु बाबत् सूचना-पत्र एतद द्वारा सूचित किया जाता के कि आवेदिका श्रीमती गीतांजली श्रीवास्तव पिता एस. के श्रीवास्तव निवासी गुडगाँव हरियाणा द्वारा ग्राम रतनपुर सड़क प.ह.नं. में स्थित खसरा नंबर क्रमांक 730/2 731 रकबा क्रमांक 0.0300 हे, 0.0500 हे. हेक्टर भूमि कुल रकबा हेक्टयर भूमि का सीमांकन हेतू आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 15/06/2026 को समय दोपहर 3:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र मे कराया जा सकता है। आज दिनांक 05/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

590

-: आम-सूचना :-
आवासीय फ्लेट नं. एस-7, स्टरलिंग इनक्लेव फेस-1 शाहपुरा, भोपाल

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा श्री मदनलाल नरूला आत्मज श्री रामचन्द्र नरूला निवासी 45, सी. आई.पार्क व्यू, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता आवासीय फ्लेट नं. एस-2 निर्मित क्षेत्रफल 530 वर्गफिट जो भूमि खसरा नं. 140,141 व अन्य के अंश भाग पर निर्मित बहुमंजिला भवन "स्टरलिंग इनक्लेव फेस-1" के द्वितीय तल पर, शाहपुरा (मुख्य मार्ग से हटकर) नगर निगम वार्ड-51, भोपाल में स्थित है, से क्रय करना चाहता है जिसकी चर्तुसीमाएः-पूर्व में-फ्लेट नं. एस-8, पश्चिम में-कॉरीडोर, उत्तर में-ओपन टेरस, दक्षिण में-फ्लेट नं. एस-6 है। उपरोक्त वर्णित फ्लेट को क्रय करने में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, वित्तीय संस्था, सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालय आदि को कोई आपत्ति हो या उपरोक्त वर्णित फ्लेट कही दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरण, विक्रय, अनुबंध इत्यादि में संलग्न हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन की अवधि में मेरे कार्यालय में दस्तावेज के साथ लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरा पक्षकार विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय-पत्र का पंजीयन करवाने के लिये स्वतंत्र होगा।

भवदीय राजेश बूलचंदानी एडवोकेट
मानस बूलचंदानी एडवोकेट
एलजीएफ-5, ईनरकोर्ट, जीटीबी काम्पलेक्स टी.टी.नगर, भोपाल मो.9893486653

594

-:जाहिर सूचना :-

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की विक्रेता. श्रीमती समीना वी पनि श्री मुबीन खानए निवासी. विजय लक्ष्मी स्कूल के पास जिन्सी चौराहा, जहांगीराबाद भोपाल मण्प्रण् के स्वत्व, आधिपत्य का एक भूखण्ड ग्राम-सिमराई नगर पालिका मण्डीदीप वार्ड नम्बर. 25, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन म.प्र. की भूमि खसरा नम्बर. 10/4/2/1/3/2/1, रकवा 0.146 हेक्टेयर भूमि के अंशभाग पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1306.8 वर्गफीट अर्थात 121.39 वर्गमीटर है जिसको मेरे पक्षकार क्रय करने जा रहे है इस बाबत उन्होने बयाना राशि अदा कर दी है उक्त भूखण्ड से या उसके किसी भाग से किसी भी शासकीयए अर्द्धशासकीय, वित्तीय संस्था, बैंक व सोसायटी व्यक्ति एवं किसी अन्य का किसी भी प्रकार का कोई लेन.देन हो तो वह आज दिनांक को प्रेषित आम सूचना दिनांक से 07 (सात) दिन की अवधि में प्रमाण सहित मेरे कार्यालय में उपस्थित होवे समयावधि पूर्ण होने के बाद किसी भी प्रकार का दावाए दखल या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बाध्य नहीं होगी और मेरे पक्षकार उक्त भूखण्ड की बकाया राशि भुगतान कर विक्रय, पत्र का पंजीयन अपने हित में करवाने के लिये स्वतंत्र होगें।

भवदीय शिवम राजपूत अधिवक्ता
कार्यालय होटल जो.पी. पैलेस के पास गौहरगंज रोड, औबेदुल्लागंज
मो.नं.9755157923,9893879224

595

आम सूचना
मूल दस्तावेज गुम होने के संबंध में

[सम्पत्ति आवासीय 3बी.एच.के. फ्लेट क्रं.- ए.-302, मैपल ग्रीन, तृतीय तल, ब्लॉक ए, स्थित मैपल ट्री, ग्राम बडवाई पटवारी हल्का नं. 5/7, नगर निगम वार्ड नं.-75, तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश]

मैं अपने पक्षकार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आर.ए.सी.पी. सी.-2, भोपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पक्षकार बैंक प्रस्तावित बंधककर्ता श्रीमती मिती रानी पत्नी श्री पंकज कुमार, निवासीः हाउस नं. 38, निर्मल एनक्लेव, जैन नगर गुफा मंदिर रोड लालघाटी हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश के द्वारा विक्रेतागण श्री सुरेश चंद्र जैन पुत्र श्री राजमल जैन एवं श्रीमती मीता जैन पत्नी श्री सुरेश चंद्र जैन दोनो निवासी-9305, चतुर्थ तल, डीएलएफ गार्डन विलास, फेस-04 सेक्टर 43, गुडगांव हरियाणा से उनके स्वामित्व व आधिपत्य के आवासीय 3बी.एच.के. फ्लेट क्रं.-ए.-302, मैपल ग्रीन, तृतीय तल, ब्लॉक ए, स्थित मैपल ट्री, ग्राम बडवाई पटवारी हल्का नं. 5/7, नगर निगम वार्ड नं-75, तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश, जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूर्व में-ओपन, पश्चिम में-कॉमन एरिया, उत्तर में-ए-303, दक्षिण में-ओपन, जिसका कुल क्षेत्रफल 1143 वर्गफिट अर्थात 106.22 वर्गमीटर है, को अनुबंध कर क्रय किया जा रहा है, जिसको बंधक रखकर ऋण प्रदान करने जा रही है। उक्त संपत्ति के विक्रेतागण के नाम की मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जिसका इंद्राज MP059692015A1126893 दिनांकित 20/10/2015 उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में पंजीबद्ध है, जो कि कहीं खो गयी है और उपलब्ध नहीं है। जिसके संबंध में सूचना थाना अयोध्या नगर में एन.सी.आर. नं. 387/2026 पर दिनांक 08/06/2026 को दर्ज करायी गयी हैं। यदि उपरोक्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर किसी व्यक्ति, संस्था का कोई ऋण, भार, दान, बंधक (साम्यिक या अन्य), अनुबंध हो अथवा इस अंतरण से किसी के कोई हित प्रभावित हों तो वह अपनी आपत्ति इस सूचना पत्र प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि के अंदर मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में मय दस्तावेंजों के साथ उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत करे, उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी एवं मेरे पक्षकार उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगी।

भवदीय अजय नागर एडवोकेट
एफ-6, प्रथम तल, राधाकृष्ण काम्पलेक्स जोन-2, एम.पी. नगर भोपाल, मो-9303114498, 8319900323

596

बेदखली/सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण श्री सत्यनारायण सोनी पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद सोनी एवं श्रीमती रमन सोनी पत्नी श्री सत्यनारायण सोनी एवं श्री संजीव सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी द्वारा निवासी म.नं. 19-20, आशा होम्स, प्रियंका नगर, बैंकर्स प्वाइंट के सामने, मानसरोवर डेंटल कॉलेज रोड, कोलार, भोपाल (म.प्र.) ने क्रमशः अपने पुत्र-पुत्रवधू एवं भाई-भाभी क्रमशः राजीव सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी एवं पूजा सोनी पत्नी राजीव सोनी के गलत आचरण एवं कृत्यों से दुखी होकर दोनों से परिवार के सभी सदस्यों ने अपना नाता रिश्ता सदैव के लिये समाप्त कर लिया है तथा उनको अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से हमेशा-हमेंशा के लिये बेदखल एवं परित्याग कर दिया है। अब मेरे पक्षकारगण एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य से राजीव सोनी पुत्र श्री सत्यनारायन सोनी एवं पूजा सोनी पत्नी राजीव सोनी का किसी भी का नाता-रिश्ता, लेना-देना व किसी प्रकार का संबंध शेष नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा। राजीव सोनी एवं पूजा सोनी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, इस बात की जानकारी मेरे पक्षकारगण के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं है। यदि किसी भी व्यक्तित तथा संस्था द्वारा राजीव सोनी एवं पूजा सोनी के साथ किसी भी प्रकार की गतिविधियों एवं किसी भी प्रकार के लेन-देन चाहे वह वित्तीय हो या किसी अन्य प्रकार का हो किया जाता तो इसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा मेरे पक्षकारगण व उनका परिवार किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे।

सौरभ कुमार नामदेव, अधिवक्ता
जे.एम.-25 व 28, शंकर नगर, 6-1/2 नं. बस स्टॉप, शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.)-462016, मो.नं. 9907077211, 8770074728

589

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल

नोटिस प्रकाशन हेतु उत्तराधिर।

एमजेसी एसयूसी/66/2026
सुश्री रेखा सिंह बनाम सर्वसाधारण
NEXT DATE :14-07-2026

प्रेषिती, दैनिक समाचार पत्र आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुश्री रेखा सिंह पता मकान नंबर। 137, जागृति कॉलोनी पुष्प नगर के पास 80 फिट रोड भोपाल म.प्र. ने मृतक स्व0 श्री शिवचरण सिंह एवं श्रीमती कांति देवी की-87,000/- (सत्यासी हजार) राशि संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 14-07-2026 को नियत है 1 यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 14-07-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 06-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें :-** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

588

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अभिरूचि परिसर ओल्ड सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक एच.आई.जी./एच.बी. 92 मण्डल द्वारा श्री मोहम्मद रफीक खान आत्मज स्व. श्री जनाब मीर खान एवं श्रीमती शहनाज खान पत्नी श्री मोहम्मद रफीक खान के संयुक्त नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 04/06/2007 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री मोहम्मद रफीक' खान आत्मज स्व. श्री जनाब मीर खान की दिनांक 06/02/2021 को मृत्यु होने के उपरांत उनकी पत्नी/पुत्र श्रीमती शहनाज खान पत्नी स्व. श्री मोहम्मद रफीक खान एवं श्री मोहम्मद रिजवान खान आत्मज स्व.श्री मोहम्मद रफीक खान के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने संयुक्त नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मूल आवंटी के अन्य वारिसों का अनापत्ति शपथ-पत्र, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्रीमती शहनाज खान पत्नी स्व. श्री मोहम्मद रफीक खान एवं श्री मोहम्मद रिजवान खान आत्मज स्व. श्री मोहम्मद रफीक खान के संयुक्त नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

587

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अयोध्या नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भवन क्रमांक एल.आई.जी. 143 एम-सेक्टर मण्डल द्वारा सुश्री कमल नेवारे पुत्री श्री नत्थुजी नेवारे के नाम भाड़ाक्रय खरीद करार के आधार पर आवंटन आदेश क्र. 1839-1843 दिनांक 19/04/2001 को आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 28/04/2011 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। सुश्री कमल नेवारे पुत्री श्री नत्थुजी नेवारे द्वारा श्री अमित कुमार नेवारे पुत्र सुश्री कमल नेवारे को नामजदगी (नामिनी) नियुक्त किया गया। श्री अमित कुमार नेवारे को सुश्री कमल नेवारे द्वारा एस.ओ.एस. बालग्राम से गोद लिया था। सुश्री कमल नेवारे पुत्री श्री नत्थुजी नेवारे की दिनांक 12/04/2021 को मृत्यु होने के उपरांत उनके पुत्र श्री अमित कुमार नेवारे पुत्र स्व. सुश्री कमल नेवारे के नाम पर नामान्तरण आदेश क्रं. 691-695 दिनांक 01/02/2023 को नामान्तरित किया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपति श्रीमती प्रियंका उपाध्याय पत्नी श्री जितेन्द्र उपाध्याय के नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त संपति का विक्रय विलेख दिनांक 30/03/2026 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती प्रियंका उपाध्याय पत्नी श्री जितेन्द्र उपाध्याय के नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

586